महत्वपूर्ण एवं खास

नहाने को कहने पर नाराज भाई ने बहन की गला दबाकर कर दी हत्या

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में आज दिनांक 19.10.19 को ग्राम केसला के कोटवार द्वारा थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव का 17 साल का बालक इसे आकर बताया कि उसकी दीदी (उम्र 22 साल) भोर में कार्तिक नहाने गांव के नजदीक तलाब में अकेली गई थी। उसके पूजा के लिये बालक फूल लेकर तालाब पर पहुंचा दिया था। तब उसकी नहाकर निकली इसे भी नहाने के लिये बोली और उस पर पानी छीडक दी। बालक नाराज होकर नहीं नहाऊगा बोला और गाली गलौच कर अपनी बडी को पकडकर गला दबाकर तालाब के पानी अंदर डूबाकर हत्या कर दिया और लाश को तलाब के पानी के अंदर छोड़कर आ गया। कोटवार और गांव के लोग जाकर देखे। उसकी दीदी तालाब के पानी में मृत पडी हुई थी। तालाब के बाहर मृतिका के कपडा, बाल्टी, चप्पल पडा हुआ था। कोटवार के रिपोर्ट पर अपचारी बालक के विरूद्ध अप.क्र. 230 /19 धारा 302 भादंवि दर्ज कर अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया है।

इलेक्ट्रानिक शॉप में सट्टा पट्टी लिखते पकड़े गये युवक

» 10,200 रूपये नगद बरामद

न्याय साक्षी/रायगढ़। तमनार पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.10.19 को मिलूपारा ढोला डनसेना की इलेक्ट्रानिक शाप पर आरोपी कृष्णा यादव पिता लोहरसाय यादव उम्र 22 वर्ष साकिन मिलूपारा को 10 नग सट्टा पट्टी एवं नगदी रकम 10200 रूपये के साथ पकड़ा गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना तमनार में धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कोतवाली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 19/10/2019 को मुखबिर सूचना पर रेल्वे बंगलापारा छबी पान ठेला चौक पास में छबी निषाद पिता स्व. पंचराम निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी रेल्वे बंगला पारा रायगढ को हाथ मे एक पुरानी तलवार पकडकर लहराते घुमते फिरते हुये स्टाफ ने पकड़ा। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

पुसौर व कोसीर पुलिस की जुआ- शराब पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। रात्रि पुसौर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम चिखली मेन रोड पर नाकेबंदी कर मोटर सायकल क्रमांक सीजी-13 एस 8698 टी.व्ही.एस.सुजुकी में आरोपी निलाम्बर साव पिता स्व0 जगत राम साव उम्र 41 वर्ष साकिन चिखली थाना पुसौर को अवैध बिक्री के लिए अपने मोटर सायकल में रखे झोला में 54 पाव अंग्रेजी शराब (20-20 स्पेशल विस्की) कीमती 4320 रूपये के साथ पकड़े। आरोपी से शराब व मोटर सायकल जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना पुसौर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

वहीं दुसरे मामले में रात्रि कोसीर पुलिस की गस्त पार्टी द्वारा ग्राम उच्चभट्ठी में ग्राम खुडबेना के नांददाऊ यादव के घर सामने रोड किनारे परछी पर लाईट के प्रकाश में जुआ खेल रहे 1. राजेश कुमार अजय पिता आशा राम अजय उम्र 30 वर्ष साकिन बरदुला 2. रविशंकर चन्द्रा पिता समय लाल चन्द्रा उर्म्र 30 वर्ष साकिन खुडबेना 3. कलीराम निराला पिता बैजनाथ निराला उम्र 35 वर्ष साकिन छुहीपाली 4. जयराम चन्द्रा पिता बादल सिंह चन्द्रा उम्र 51 वर्ष साकिन खुडबेना 5. लकेश्वर बरेठ पिता भुराऊ राम बरेठ उम्र 30 वर्ष साकिन बरदुला सभी साकिनान थाना कोसीर क्षेत्र को पकड़े। आरोपियों के पास से 1010 रूपये एवं 52 पत्ती तास जप्त किया गया है।

वाहन चालन परीक्षण 21 से 28 अक्टूबर तक रहेगा स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी सुजीत अग्रवाल ने जिले के जनसामान्य को जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के अवसर पर मिनी स्टेडियम रायगढ़ में पटाखे की दुकान संचालित होने के कारण जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में स्थायी अनुज्ञप्ति वाहन चालक परीक्षण का कार्य जो संचालित होता है वह 21 से 28 अक्टूबर 2019 तक स्थगित रहेगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान एवं पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यशाला 23 अक्टूबर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान एवं पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त सोनोग्राफी सेन्टरों के संचालक एवं चिकित्सकों की कार्यशाला 23 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे कलेक्टोरेट कार्यालय के सृजन सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ ने जिले के समस्त सोनोग्राफी सेन्टर के संचालक एवं चिकित्सकों को नियत तिथि एवं समय पर कार्यशाला में उपस्थित होने हेतु कहा है।

प्रशासन को जवाबदेही बनाना सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य-मुख्य सूचना आयुक्त राउत

» सूचना का अधिकार आम जनता की भलाई के लिए-सूचना आयुक्त पवार » अपने निर्णय को समय सीमा में कार्यान्वित कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व-सूचना आयुक्त अग्रवाल

न्याय साक्षी/रायगढ़। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष सृजन में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से नुकसान संबंधित जनसूचना अधिकारी को होता है। द्वितीय अपील में प्रकरण आने के बाद आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही कराए। आयोग के पत्रों का जवाब अवश्य दें और आयोग के निर्णय का पालन करते हुए जवाब अवश्य दें।

मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों के द्वारा शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की जानकारी मांगने पर निर्धारित समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व हमारा है। शासकीय कार्यों, दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करें, ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के सचिव संजय दीवान, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सहायक कलेक्टर संबित मिश्रा, संयुक्त संचालक धनंजय राठौर भी उपस्थित थे।

राज्य सूचना आयुक्त मोहनराव पवार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जनता की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी गतिविधियों को पूर्णतः पारदर्शी बनाना है और आवेदक को समय-सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को निःशुल्क जानकारी देनी होगी। पवार ने कहा कि सूचना आयोग पेनाल्टी लगाने वाली संस्था नहीं है, लेकिन जानबूझकर जानकारी नहीं देने अथवा गलती करने पर जनसूचना अधिकारी पर पेनाल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जनसूचना अधिकारी को बचना चाहिए।

राज्य सूचना आयुक्त पवार ने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाना है। इसमें पहली कड़ी जनसूचना अधिकारी हैं, ये अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के मेरूदण्ड हैं। इसलिए जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़े और सकारात्मक सोच से कार्य करें, इससे गलती की संभावना कम होगी। जानकारी देने की समय-सीमा और शुल्क निर्धारित कर जानकारी उपलब्ध कराने आवेदक को पत्र अवश्य दें, जनसूचना अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि शुल्क के रुप में संलग्न स्टाम्प छत्तीसगढ़ राज्य का है तभी स्वीकार करें अन्य राज्य के होने पर और किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया इसको ध्यान से देखकर स्टाम्प सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन के लिए नहीं है, तो अमान्य करते हुए वापस कर दें।

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अशोक अग्रवाल ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि जनसूचना अधिकारी समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है और प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्णय देने के बाद उसे समय सीमा में कार्यान्वित कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने जनसूचना अधिकारियों से कहा कि जब आवेदक सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़े, आवेदन पत्र में एक से अधिक विषय की जानकारी चाही गई है, तो केवल एक विषय की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। इसी तरह सशुल्क जानकारी देने की स्थिति पर शुल्क की गणना भी आवेदक को दी जाए और आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित जानकारी की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाए। अग्रवाल ने कहा कि आवेदक को जानकारी देते समय जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

बरमकेला विकासखण्ड के खैरगढ़ी में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक लगा

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजनान्तर्गत आज बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम-खैरगढ़ी में सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्र बरमकेला के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। हाट-बाजार करने आने वालों ने अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, खून जांच करवाया। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आज जांच उपरांत शरीर की छोटी-मोटी बीमारियों की भी जानकारी मिल गई है और निःशुल्क दवाई की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीणों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना को सार्थक बताया।

शालिनी कन्वेंट स्कूल में पुलिस महिला रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महिला रक्षा टीम द्वारा बोईरदादर चक्रधरनगर स्थित शालिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की जानकारी एवं उनसे बचाव के उपाय बताए जाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस महिला रक्षा टीम के सदस्यगण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में प्रतिदिन 02 या 03 स्कूलों का भ्रमण कर स्कूल प्रबंधन से समय लिया जाता है। इसी क्रम तय कार्यक्रम अनुसार आज सुबह एडिशनल एसपी डॉ. राजेंद्र प्रसाद भैया एवं महिला सेल की महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा अपने स्टाफ के साथ शालिनी स्कूल पहुंचे थे।

एडिशनल एएसपी डॉ. भैया द्वारा छात्र छात्राओं को संस्कारी एवं अनुशासित रहने से व्यक्तित्व का विकास होता है बताये। उन्होंने बताया कि कानून में संशोधन के तहत बच्चों पर घटित अपराधों में शीघ्र निराकरण एवं आरोपियों को कठोर सजा देने का प्रावधान है। किसी का व्यवहार, उसका गलत तरीके से छूना यदि गलत लगता है तो उसे तत्काल टोके, अपने अभिभावकों को बतायें। एडिशनल एसपी डॉ राजेंद्र प्रसाद भैया ने बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने अभिभावकों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा ने छात्र-छात्राओं से कहा कि बच्चे कोमल हृदय के संकोची होते हैं। अपने साथ घटित अवांछनीय हरकतों की शिकायत नहीं करते हैं जिससे कि गंदी हरकत करने वाले व्यक्तियों को बल मिलता है और वह छुप-छुपकर ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों से बिना डरे उनकी हरकतों की शिकायत अपने माता-पिता, टीचर, दीदी, भाई को बतावें। उन्होंने बच्चों को बताया कि पुलिस थाने, महिला रक्षा टीम भी इसमें पूरी मदद करेगी। आप अपनी शिकायत किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा ने बच्चों को व्हाट्सएप, फेसबुक से किस प्रकार का दुरपयोग कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी दिया गया। छात्र-छात्राओं को गुड टच, बैड टच संबंधी वीडियो के शॉट फिल्म दिखा कर समझाएं उनके द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 12 चाइल्डलाइन 1098 एक नंबर की जानकार भी दिया गया है।

सभी नागरिक करें जिम्मेदारी से प्रावधानों का पालन-जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद

» विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ एवं शासकीय पीडी वाणिज्य एव कला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मोटर यान अधिनियम (संशोधन)2019 के नवीन प्रावधानों पर आधारित विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज कामर्स कालेज में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, न्यायाधीश परिवार न्यायालय ओमप्रकाश चौहान, द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह, रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रमाशंकर प्रसाद ने कहा कि मोटरयान अधिनियम 2019 के नवीन संशोधनों को सकारात्मक रूप से लेते हुए विधि का पालन करना चाहिए। विधायिका विधि को बहुत ही सोच-समझकर पारित करती है। उन्होंने कहा कि नागरिक जिम्मेदारी से प्रावधानों का पालन करें तो जुर्माना भरने एवं असुविधाओं से बच सकते है। विधिक शिक्षा केन्द्र के सहायक प्राध्यापक संतोष कुमार नायक ने विधिक शिक्षा केन्द्र के प्रतिवेदन में बताया कि हमारा विद्यालय बीएएलएलबी पंचवर्षीय (एकीकृत पाठ्यक्रम)का संचालन करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का द्वितीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंतर्गत प्रथम शासकीय महाविद्यालय है। इस अंचल के क्षेत्रवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष एवं गौरवपूर्ण है। महाविद्यालय के प्राभारी प्राचार्य प्रो.सुब्रत चौबे ने विधिक शिक्षा केन्द्र के विषय में जानकारी देते हुए विधि के छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर वाद-विवाद एवं रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वाद-विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में प्रथम स्थान आदित्य बेहरा, द्वितीय स्थान-इंद्रजीत साहू, तृतीय स्थान-जितेन्द्र पटेल तथा विपक्ष में प्रथम स्थान कु.स्मिता डनसेना, द्वितीय स्थान कु.श्वेता चौहान, तृतीय स्थान हर्षरथ शर्मा ने प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कु. कमला निषाद, द्वितीय स्थान कु. मोहिनी साहू एवं कु. पूजा देवांगन, तृतीय स्थान कु. ममता पाव रही। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र, स्मृति चिन्ह, पुस्तक, एवं अन्य समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी प्रो.प्रदीप शर्मा एवं संचालन डॉ. प्रीति तन्ना ने किया। कार्यक्रम में विधिक शिक्षा केन्द्र के विभागाध्यक्ष डॉ.बी.पी.यादव तथा महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त स्वयं सेवक उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन प्रो.हेमकुमारी पटेल के द्वारा किया गया।

चक्रधर नगर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा स्टेट प्लान ऑफ एक्शन की योजनान्तर्गत आज शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल चक्रधर नगर में विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे, देवेन्द्र कुमार, चंद्रकुमार कश्यप, मुकेश पात्रे, पल्लवी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल वर्मा, सुश्री आकांक्षा बेक, दामोदर प्रसाद चन्द्रा, पेनल लायर सुश्री शकुन्तला चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी मनीन्द्र श्रीवास्तव, सहायक संचालक शिक्षा कमल स्वर्णकार एवं प्राचार्य राजेश डेनियल उपस्थित थे।

इस अवसर पर वाद-विवाद, निबंध, रंगोली तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम-कु.शांति किसान एवं कु.वैष्णवी शर्मा, द्वितीय-कु. सृजना परिहार एवं कु. संजना देवांगन एवं तृतीय-कु.कविता चौहान एवं कु.निकिता चौहान रही। इसी तरह ड्राइंग में प्रथम-सुशांत पटनायक, द्वितीय-सुरभि धीवर एवं तृतीय-संजना सिदार, वाद-विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में प्रथम-शुभम तिवारी, द्वितीय-मोहम्मद अलाउद्दीन एवं तृतीय-ज्ञान प्रकाश गुप्ता तथा विपक्ष में प्रथम-सृजना परिहार, द्वितीय-मितेश जाटवर एवं तृतीय-ललिता साहू रही।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480